भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1224
गुरुवार, 1 अगस्त, 2024/10 श्रावण, 1946 (शक)

ईपीएफओ के पास पड़े दावा न किए गए धन का उपयोग

1224. डा. भीम सिह:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लाभार्थियों की संख्या कितनी है, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) इस योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि आवंटित और संवितरित की गई है;
(ग) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पास पड़ी विभिन्न श्रेणियों की बिना दावे वाली जमाराशि का ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार का ऐसी बिना दावे वाली निधि का उपयोग जन कल्याण के लिए करने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करंदलाजे)

(क) एवं (ख): आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), नए रोजगारों के सृजन तथा कोविड-19 महामारी के दौरान समाप्त हुए रोजगारों के पुनः स्थापन हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिनांक 01 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई थी। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2022 थी। दिनांक 31.03.2022 तक पंजीकृत लाभार्थियों को योजना के तहत पंजीकरण की तारीख से 2 वर्षों तक लाभ प्रदान किया गया है। एबीआरवाई के तहत लाभार्थियों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध पर दिया गया है।

दिनांक 31.03.2024 तक, 60.49 लाख लाभार्थियों को 10,188.50 करोड़ रुपये संवितरित किए गए हैं।

(ग) और (घ): कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में कोई भी लावारिस खाता नहीं है। हालाँकि, कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 72(6) के अनुसार, कुछ खातों को निष्क्रिय खाते में वर्गीकृत किया गया है। ऐसे सभी निष्क्रिय खातों के निश्चित दावेदार होते हैं और जब भी ऐसा कोई सदस्य ईपीएफओ में दावा करता है, तो जांच के बाद उसका निपटान किया जाता है।

*****

अनुबंध

राज्य सभा के दिनांक 01.08.2024 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1224 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

एबीआरवाई लाभार्थियों का ब्यौरा (31.03.2024 तक)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लाभार्थी कर्मचारियों की संख्या
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	**479**
आंध्र प्रदेश	**166930**
अरुणाचल प्रदेश	**514**
असम	**19918**
बिहार	**28576**
चंडीगढ़	**13474**
छत्तीसगढ	**85105**
दिल्ली	**227076**
गोवा	**20948**
गुजरात	**591126**
हरियाणा	**400760**
हिमाचल प्रदेश	**83382**
जम्मू और कश्मीर	**19384**
झारखंड	**62776**
कर्नाटक	**485462**
केरल	**96343**
लद्दाख	**190**
लक्षद्वीप	**9**
मध्य प्रदेश	**205901**
महाराष्ट्र	**978836**
मणिपुर	**1698**
मेघालय	**1224**
मिजोरम	**377**
नागालैंड	**226**
ओडिशा	**89360**
पुडुचेरी	**14746**
पंजाब	**222363**
राजस्थान	**326998**
सिक्किम	**4008**
तमिलनाडु	**804738**
तेलंगाना	**283362**
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	**52911**
त्रिपुरा	**5440**
उत्तर प्रदेश	**433724**
उत्तराखंड	**93521**
पश्चिम बंगाल	**227402**
कुल योग	**6049287**

स्रोतः ईपीएफओ, एमओएलई